

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 870

10 Kartik, 1941(S)

Ranchi, Friday, 1st November, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. -18/2019 – State Tax(Rate)

S.O. No- 86 Dated- 1st **November, 2019--** In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (1) of section 16 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No.02/2019-State Tax (Rate), dated the 26th April, 2019, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 36, dated the 26th April, 2019, namely:-

In the said notification, in the Annexure, after Sl. No. 2 and the entries thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely: -

"2A. 2202 10 10 Aerated Water".

2. This notification shall be deemed to be effective from 1st day of October, 2019.

[File.No Va Kar / GST / 03/ 2019] By the order of the Governor of Jharkhand,

Prashant Kumar,

Secretary-cum-Commissioner.

Note: - The principal notification No.2/2019-State Tax (Rate), dated the 26th April, 2019 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 36, dated the 26th April, 2019 and last amended by Notification No. 9/2019-State Tax (Rate) dated 26th April, 2019 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 50, dated the 26th April, 2019.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं0. 18/2019- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 86 दिनांक 1 नवम्बर, 2019-- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1), और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2019- राज्य कर (दर), दिनांक 26 अप्रैल, 2019, जिसे एस. ओ. सं. 36, दिनांक 26 अप्रैल, 2019 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:- उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में, क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"2क 2202 10 10 वातित जल".

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2019 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा0कर/जी0एस0टी0/03/2019] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार, सचिव-सह-आयुक्त

नोट: -प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2019- राज्य कर (दर), दिनांक 26 अप्रैल, 2019 को एस. ओ. सं. 36, दिनांक 26 अप्रैल, 2019 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 9/2019- राज्य कर (दर) दिनांक 26 अप्रैल, 2019, जिसे एस. ओ. सं. 50, दिनांक 26 अप्रैल, 2019 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
